"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 959] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 24, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-1103/33/2025-UAD. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत तमनार के लिये कालॅम 4 में यथाविनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :–

सारणी

क.	जिला का नाम	नगर पंचायत का नाम	वार्डो की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायगढ़	तमनार	15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत प्रसाद जायसवाल, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

क्रमांक GENS-1103/33/2025-UAD. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15–12–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत प्रसाद जायसवाल, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th December 2025

NOTIFICATION

No. GENS-1103/33/2025-UAD. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) and in suppression of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of Nagar Panchayat Tamnar specified in column (3) of the schedule below, herby determine the number of wards as specified in the column (4) of the said schedule, namely:-

SCHEDULE

S.No.	District	Name of Nagar Panchayat	No. of Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raigarh	Tamnar	15

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.